रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 496] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 5, 1984/आश्विन 13, 1906
No. 496] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 1984/ASVINA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1984

का. आ. 768(अ):—केन्द्रीय सरकार, बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 57) की धारा 2 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 अक्तूबर, 1984 को उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. एल-39 (17)/84-डी वी]
आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 1984

S.O. 768(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of section 2 of the Bengal Immunity Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings Act, 1984 (57 of 1984), the Central Government hereby specifies the 10th Day of October, 1984, as the date for the purposes of sub-section (1) of section 16 of the said Act.

[No. L 39(17)|84-DV]
R. V. VAIDYANATHA AYYAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1984